कार्यालय, चास नगर निगम
चास (बोकारो)

पत्रांक 01 दिनांक 30/12/17

सेवा में,

श्री रामानुज सिन्हा

पिता - स्व० गया प्र० सिन्हा

पता - पीरा - चास

बोकारो

विषय :- मौजा नं चास 30 के खाता नं० 13, प्लॉट नं० 596, 537, रकवा 11 डी० डीसमील पर आवासीय/वाणिज्यिक निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन संशोधन के उपरांत दिनांक – 30/12/2017 गृह प्लॉन केश नं० बी० डी० BD/02/48/2015-16/REV/1/2017

महाशय,

निर्देशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भू-खण्ड पर गृह निर्माण की स्वीकृति अधोलिखित शर्त्तों के साथ झारखण्ड नगर नगरपालिका अधिनियम **2011** की धारा–**427** के अर्न्तगत प्रदान की गई है :–

1. प्रस्तावित भवन प्लॉन की स्वीकृति अग्निशमन सेवा मुख्यालय झारखण्ड, राँची के पत्रांक 177, दिनांक – 10/04/2015 के निर्देशानुसार में दिए सुझाव संख्या 1 से 27 तक के आलोक में प्रदान की जाती है।
2. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारंभ करने के एक सप्ताह पूर्व कार्य प्रारंभ करने की सूचना विहित प्रपत्र में भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है। प्लिंथ लेवल तक कार्य हो जाने के पश्चात् उसकी फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करना होगा।
3. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख–रेख में कराई जाय, ताकि वे समय–समय पर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सके।
4. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र के प्राप्ति के तीन वर्षो के अंदर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।
5. गृह निर्माण पूर्ण रुपेंण स्वीकृत नक्शें के अनुसार ही करना है।
6. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शें के अनुरुप कराई जाय एवं नाली को मुख्य नाली से मिलावे।
7. गृह निर्माण निरीक्षण नगर निगम के किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता हैं तथा नक्शे के प्रतिकुल पाए गए निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जाएगा और साथ ही दंड के भागी होगें।
8. वाटर हारवेस्टिंग हेतु सॉकपिट का निर्माण करावें।
9. पर्यावरण सुरक्षा हेंतु तीन वृक्ष लगावें।
10. इस नक्शे की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि राज्य सरकार के अधीन कोई नवीनतम नियमावली/रा० भ० सं० में निहित मार्गदर्शिका का अनुपालन सख्ती से हो तथा कोई उल्लघंन न हो।
11. नक्शा की स्वीकृति भूमि स्वामित्व का प्रमाण नही होगी।
12. भवन निर्माण प्रारम्भ करनें के पूर्व श्रम निबंधन कराते हुए झारखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए न्युनतम लागत (Rs. 1400/– प्रति वर्गफीट की दर से) का 1% प्रतिशत उपकर जमा करनें की जिम्मेवारी आपकी होगी।
13. G+3 से अधिक भवन निर्माण का ले–आऊट के पूर्व सक्षम एजेन्सी से Soil Bearing Capacity Test कराते हुए उसकी एक प्रति नगर निगम को अवश्य समर्पित करें।
14. LIG के लिए 25% मकान आरक्षित करनें की जिम्मेवारी आपकी होगी।

30.12.17

कार्यपालक पदाधिकारी
चास नगर निगम।

30/12/17